...य तहसीलदार माण्डलगढ़ जिला भीलवाडा (राज0)

...नाम पीठासीन अधिकारी:– श्री सुरेन्द्र सिंह चौधरी, तहसीलदार माण्डलगढ

...संख्या 03/2020

...दिनांक: 15.09.2020

उनवान

मुलचंद पिता नारू जाति खटीक निवासी बीगोद तहसील माण्डलगढ जिला भीलवाडा

--प्रार्थी

बनाम

रामचन्द्र पिता गोविन्द जाति कंजर निवासी कंजर बस्ती बीगोद तहसील माण्डलगढ

--अप्रार्थी

अन्तर्गत वाद पत्र धारा 183 (बी) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित:–

1. श्री संजय कुमार खटीक :– अधिवक्ता प्रार्थी
2. श्री संजच चौहान :– अधिवक्ता अप्रार्थी

निर्णय दिनांक: 28.12.2020

प्रकरण संक्षेप मे इस प्रकार है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता श्री संजय कुमार खटीक के दिनांक 31.07.2020 को एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मेरे नाम पर ग्राम बीगोद प0ह0 बीगोद तहसील माण्डलगढ के आराजी नं. 3364/1 रकबा 0.3237 हैक्टेयर भूमि खातेदारी हक मे रिकॉर्ड दर्ज है। उक्त वर्णित भूमि की दिनांक 09.07.2020 को भू–अभिलेख निरीक्षक बीगोद व पटवारी हल्का बीगोद द्वारा मुस्तकील मुटाम से जरीब चलाकर पत्थरगढी की गई। पत्थगढी करवाने पर उक्त वर्णित भूमि के आराजी नं. 3364/1 रकबा 02 बीघा मे से 10 बिस्वा भूमि पर अप्रार्थी का अवैध कब्जा पाया गया। वक्त पत्थरगढी अप्रार्थी को उक्त अवैध कब्जा छोडने बावत निवेदन किया गया तो अप्रार्थी ने उक्त कब्जा छोडने से इनकार कर दिया। प्रार्थी ने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मे उक्त वर्णित खातेदारी भूमि से अप्रार्थी को बेदखल कर कब्जा प्रार्थी को सपुर्द करने बाबत निवेदन किया है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के साथ विवादित भूमि की जमाबंदी व पत्थरगढी–मौका पर्चा की सत्यापित प्रति प्रस्तुत की है। प्रार्थना पत्र क्षेत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को नोटिस जारी कर तलब किया गया।

दिनांक 06.10.2020 को अप्रार्थी रामचन्द्र पिता गोविन्द जाति कंजर निवासी कंजर बस्ती बीगोद तहसील माण्डलगढ की ओर से अधिवक्ता संजय चौहान ने अधिकार पत्र प्रस्तुत किया गया। अधिवक्ता अप्रार्थी संजय चौहान ने दिनाक 23.12.2020 को अप्रार्थी की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। अप्रार्थी की ओर से प्रस्तुत जवाब से अवगत करवाया कि विवादित भूमि जो आवंटी मोहन पिता रूपा कंजर निवासी बीगोद को हुई थी तथा बाद मे प्रार्थी ने उक्त भूमि खरीदी थी। विपक्षी का ग्राम बीगोद की चरागाह भूमि आराजी नं0 3365, 3364 पर कब्जा चला आ रहा है विवादग्रस्त भूमि भी चरागाह से आवंटन हुई थी। प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि खरीदी गई तथा प्रार्थी का कभी भी उक्त भूमि पर कब्जा नही रहा है। प्रार्थी के नाम विवादग्रस्त भूमि का आवंटन निरस्त किया जावे। अप्रार्थी की ओर से प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र को शामिल पत्रावली किया गया। उभय पक्ष के अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

तहसीलदार माण्डलगढ

Scanned with CamScanner

मेनें प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, जमाबंदी की नकल, पत्थगढी का मौका अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र व सम्पूर्ण पत्रावली का गहनता से अवलोकन ...। उभय पक्ष के अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया। अप्रार्थी ने अपने लिखित जवाब ... प्रार्थी के नाम दर्ज खातेदारी भूमि को निरस्त करने बावत निवेदन किया है। यदि विपक्षी विवादग्रस्त भूमि के आवंटन को निरस्त करवाना चाहता है तो इसके लिए सक्षम न्यायालय मे वाद दायर करना चाहीए था। अप्रार्थी ने अपने जवाब मे विवादग्रस्त भूमि पर अवैध कब्जा करना स्वीकार किया है। प्रार्थी के नाम दर्ज खातेदारी भूमि की पत्थरगढी का मौका पर्चा अनुसार प्रार्थी के नाम दर्ज खातेदारी भूमि ग्राम बीगोद के आराजी नं 3364/1 रकबा 0.3237 हैक्टेयर मे से 10 बिस्वा भूमि पर अप्रार्थी द्वारा किया गया कब्जा अवैध है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित व न्याय संगत प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर भू–अभिलेख निरीक्षक बीगोद को आदेशित किया जाता है कि ग्राम बीगोद प0ह0 बीगोद तहसील माण्डलगढ के आराजी नं. 3364/1 रकबा 0.3237 हैक्टेयर भूमि मे से 10 बिस्वा भूमि से अप्रार्थी रामचन्द्र पिता गोविन्द जाति कंजर निवासी कंजर बस्ती बीगोद तहसील माण्डलगढ को बेदखल कर कब्जा प्रार्थी मुलचंद पिता नारू जाति खटीक निवासी बीगोद तहसील माण्डलगढ जिला भीलवाडा को संभलाया जावे। निर्णय खुले न्यायालय मे अधिवक्ता उभय पक्ष की उपस्थिति मे सुनाया गया। निर्णय की पालना हेतु भू–अभिलेख निरीक्षक बीगोद को लिखा जाकर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(सुरेन्द्र सिंह चौधरी)
तहसीलदार माण्डलगढ
तहसीलदार, माण्डलगढ

Scanned with CamScanner